न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 85/2025(GCMS 2025/372)

रायसिंह पुत्र हजारी लाल जाति राजपूत आयु 78 वर्ष निवासी पदी खुती तहसील गढशंकर जिला होशियारपुर **हाल निवासी** मकान नं. 3278/2 सैक्टर नम्बर 47 डी चण्डीगढ़ (मोबाईल नम्बर 98150–44655)

अपीलांट

बनाम

कमलजीत सिंह पुत्र श्री राय सिंह जाति राजपूत निवासी 2 आर बी तहसील पदमपुर **हाल निवासी** प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाईनिंग फेज–I, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, सेक्टर–57, एस ए एस नगर, मोहाली पंजाब (मोबाईल नम्बर 73074–21746)

–रेस्पोडेंटस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.01.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रायसिंह एवं रेस्पोडेंट कमलजीत सिंह उपस्थित हुए। उपभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी रायसिंह ने अपनी बहस में कथन किया है कि वह 75 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है। अप्रार्थी कमलजीत सिंह, उसका पुत्र है। प्रार्थी के नाम से तहसील पदमपुर के चक 2 आरबी में भूमि थी। जो उनके द्वारा दिनांक 06.09.2016 को अप्रार्थी के नाम हस्तांरित कर दी थी।

उनका आगे यह भी कथन है कि उनके द्वारा भूमि अप्रार्थी को हस्तांरित करने बाद अप्रार्थी का व्यवहार उसके प्रति बदल गया अप्रार्थी उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। जिस पर उसने प्रार्थी को उपहारस्वरूप जमीन की आय सुपुर्द करने को कहा, ताकि वह अपना अपना भरण पोषण कर सके। इस पर अप्रार्थी ने साफ इंकार कर दिया और कहा मैं इस जमीन को किसी तीसरे व्यक्ति को बेचान कर दूंगा।

उनका आगे यह भी कथन है कि उसके द्वारा अप्रार्थी को अपनी भूमि इस शर्त पर अंतरण की थी कि अप्रार्थी वृद्धावस्था में उसकी सार सम्भाल करेगा, जिसे अप्रार्थी ने करने से इंकार कर दिया इसलिए उपहार पत्र दिनांक 06.09.2016 को वह शून्य घोषित करवाने का अधिकारी है, ताकि [illegible] भरण पोषण कर सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.02.06 14:58:01 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि [illegible] वर्ष की सेवा कर सेवानिवृत हुआ है। उसके बाद उसकी योग्यता के आधार पर ही सी एस [illegible] ओ में सुरक्षा सहायक के पद पर नियुक्त हुआ था और उन दोनों सेवाओं से

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

सेवानिवृत होने से प्रार्थी को पेंशन मिल रही है। उक्त पेंशन में अप्रार्थी का कोई योगदान नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि मकान नं. 3278/2 सैक्टर नम्बर 47डी चंडीगढ में व दूसरा मकान एचआईजी 70 सीनियर सीटिजन सोसाईटी सैक्टर 48 सी मोहाली अपनी स्वयं की आय से हुई बचत से क्रय किये है। मकान नम्बर 3278/2 एक कमरे का अत्याधिक छोटा सा फ्लेट है, जो कि द्वितीय मंजिल पर स्थित है और प्रार्थी की पत्नी का 2021 से ईलाज करवाने पर डॉक्टर ने सीढियां पर जाने से मना करने पर प्रार्थी मकान नम्बर 48 सी मोहाली में निवास कर रहा है। प्रार्थी को उक्त मकान से कोई आय प्रार्थी को प्राप्त नहीं हो रही है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी **वर्तमान में अस्सिटेंट प्रोफेसर के पद पर इंस्टीट्यूट में कार्यरत है, जो कि राज्य सरकार के अधीन है तथा उसका अच्छा वेतनमान है तथा अपने व अपने परिवार के जीवनयापन में पूर्ण रूप से सक्षम है।** प्रत्यर्थी की पत्नी के नाम से 6 मरला का प्लॉट मरिंडा में है, प्रत्यर्थी के नाम 1 किला पंजाब में जमीन भी है, ऐसी अवस्था में अप्रार्थी द्वारा अपने पिता प्रार्थी से उक्त गिफ्ट में प्राप्त की गई कृषि भूमि उनकी सेवा चाकरी में असफल रहने पर वापिस लौटाने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस सभी तथ्यों को दरकिनार कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में सख्त गलती है, जो कि अपास्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा अपने जवाब में झूठे कथन कहे गये है। रिहायशी मकान में प्रार्थी ने स्वयं रिहायिश की हुई है, जिसमें प्रार्थी को कोई आय नहीं हो रही है। राजस्थान व पंजाब की कृषि भूमि अप्रार्थी के नाम से होने से प्रार्थी को कोई आय नहीं हो रही है। प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी का इस बुढ़ापे व बीमारी की हालत में जीवनयापन मुश्किल है तथा इसके अलावा **प्रार्थी द्वारा गोद लिये गये बच्चे का भरण पोषण, शिक्षा इत्यादी दायित्वों का निर्वहन भी प्रार्थी द्वारा ही किया जा रहा है।** अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई गौर ना कर, आदेश पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधीनस्थ [illegible] के अपीलाधीन निर्णय में प्रार्थी के पास भरण पोषण हेतु [illegible] अप्रार्थी के पास कोई मकान तक होने का कथन नहीं [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.02.06 14:58:01 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी ने अपनी पुत्री कविता कुमारी के पुत्र सौरभ राणा को रजिस्टर्ड गोदनामा से दत्तक पुत्र ले रखा है व प्रार्थी द्वारा

भरण पोषण का क्लेम नहीं किया है और केवल रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड को निरस्त करवाने का क्लेम किया है, जो अनुतोष सक्षम सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने उसक प्रार्थना पत्र खारिज करने में यह गलत आधार लिया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी के पास कोई मकान तक होने का कथन नहीं किया है, जबकि अप्रार्थी की पत्नी के नाम से मोरिंडा में 6 मरला का प्लॉट है और **अप्रार्थी स्वयं एस्सिटेंट प्रोफेसर है, के बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर ना कर निर्णय पारित किया है, वह विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।**

उनका आगे यह भी कथन है कि गढ़शंकर के न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.10.2022 प्रकरण संख्या 65/2022 का हवाला दिया है, परन्तु उक्त निर्णय कमीश्नर कम डिस्ट्रीक्ट कलक्टर, होशियारपुर द्वारा आदेश दिनांक 18.07.2024 से उक्त आदेश दिनांक 06.10.2022 निरस्त कर अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपहार पत्र दिनांक 05.07.2016 को निरस्त कर दिया गया था। जिसका प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में लम्बित है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी ने प्रार्थी को दोनों सेवा कार्य से कुल 70,000/– रूपये मासिक सरकारी पेंशन मिलना व 1,10,000/– रूपये से अधिक मासिक आय होने का कथन गलत रूप से दर्ज किया गया है, **प्रार्थी को केवल 47,000/– रूपये मासिक पेंशन प्राप्त होती है,** जिसमें प्रार्थी अपना व अपनी वृद्ध पत्नी का भरण पोषण, चिकित्सा व पुत्रियों के आने जाने पर उनका मान सम्मान कर रहा है, प्रार्थी को अन्य कोई कतई 1,10,000/– रूपये या अन्य कोई आय अर्जित नहीं होती है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उसे 2011 में कैंसर की बीमारी हुई थी जिसका ईलाज उनके स्वयं के द्वारा करवाया गया, उस समय भी अप्रार्थी ने उनकी कोई सार सम्भाल नहीं की थी। उनकी (अपीलंट की) पत्नी और रेस्पोडेंट की माता का 2021 में हद्‌य सम्बन्धी ऑपरेशन होने पर भी अप्रार्थी व उसकी पत्नी ने कोई देखभाल व सार सम्भाल नहीं की, जबकि प्रार्थी की पत्नी का एक्सीडेंट होने पर प्रार्थी (अपीलांट) व प्रार्थी की पत्नी ने आवश्यक देखभाल [illegible]

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी के दोनों पेंशनों से मात्र 47,000/– रूपये प्राप्त हो रही है जो कि मोहाली जैसे बड़े शहर में व वृद्धावस्था में प्रार्थी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.02.06 14:58:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उसकी पत्नी के लिए बहुत कम है। **पंजाब में कृषि भूमि 2023 से खाली पड़ी है, जिससे भी कोई ठेका राशि प्राप्त नहीं हो पा रही है।**

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.09.2025 के बाद अपीलाधीन भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आगे हस्तांरित कर दी है, अपीलांट ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.09.2025 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में उक्त अपील दिनांक 23.09.2025 को प्रस्तुत कर दी थी और अप्रार्थी ने अपीलांट को अपनी सम्पत्ति से वंचित करने के आश्य से उपहार –पत्र से प्रभावित सम्पत्ति भूमि दिनांक 29.09.2025 को आगे हस्तांतरित कर दी है, **जिसका अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय में छिपाव किया गया है।** इसलिए अपीलांट/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 18.09.2025 को निरस्त कर अपील स्वीकार कर, दान पत्र दिनांक 06.09.2016 को शून्य घोषित किये जाने की प्रार्थना की हे।

इसके विपरित रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र वर्णित प्रावधनों के अन्तर्गत अनुतोष भरण पोषण आदि के लिए पेश नहीं किया केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज उपहार पत्र दिनांक 06.09.2016 को शून्य घोषित कराने की अपील पेश की है। **रजिस्टर्ड दस्तावेज को कैन्सिल कराने का सिविल वाद स्पेसेफिक रिलीफ एक्ट की धारा 31–34 के तहत सक्षम सिविल न्यायलाय में दस्तावेज की तिथि से 3 वर्ष की मियाद अवधि के भीतर ही पेश किया जा सकता है।** अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकारी व श्रवणाधिकार से बाहर होने के कारण निरस्तनीय है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत कृषि भूमि की ट्रांसफर डीड दिनांक 05.07.2016 को कैन्सिल कराने हेतु उप मण्डल मजिस्ट्रेड कम मैन्टीनैंस ट्रिब्युनल, गढ़शंकर के न्यायालय में दिनांक 29.03.2022 को मुकद्दमा नम्बर 65/2022 पेश किया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.10.2022 में इस फाईडिंग के साथ उपरोक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया कि याचिकाकर्त्ता द्वारा बिना शर्त के दस्तावेज का निष्पादन किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि याचिका[illegible]ारक है, जो काफी सम्पत्ति का मालिक है वह दो पेंशन ले रहा है और दो [illegible] किराये भी ले रहे है। अन्य सम्पतियों से भी उनकी आय है, जो [illegible] और उसकी पत्नी के भरण पोषण के लिए पर्याप्त है। याचिकाकर्ता ने प्रतिवा[illegible] द्वारा देखभाल न करने की स्थिति में स्वामित्व के हस्तान्तरण को रद्द करने के संबंध में कहीं भी उल्लेख

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.02.06 14:58:01 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

नहीं किया हे। उन्होंने स्वामित्व के हस्तान्तरण में लिखा है कि वह अपनी मर्जी से स्वामित्व का हस्तान्तरण बिना किसी दबाव के कर रहे है।

उनका आगे यह भी कथन है कि माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक नजीर पंजाब एण्ड हरियाणा हाईकोर्ट सी आर नम्बर 7598/15 निर्णय दिनांकित 22.01.2016 एवं कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायिक नजीर सी.ओ. नम्बर 4243/2019 दिनांकित 25.02.2020 का मार्गदर्शन लेते हुए उक्त फाईडिंग के साथ प्रार्थी रायसिंह की धारा 23 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 का प्रार्थना पत्र दिनांक 26.10.2022 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया है। चूंकि समान वाद विषय पर समान पक्षकार के मध्य समान विधिक प्रावधान में सक्षम सिविल न्यायालय, गढ़शंकर द्वारा प्रार्थी का क्लेम खारिज कर दिया गया है, ऐसी सूरत में उक्त प्रार्थना पत्र रेस ज्यूडिकेटा से बाधित है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी इसी स्टेज पर निरस्तनीय है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अपना पता व रिहायशी मकान नम्बर 3278/2 सैक्टर नम्बर 47डी चण्डीगढ का लिखाया है जबकि प्रार्थी अपनी पत्नि के साथ मकान नं. एच आई जी 70 सीनीयर सिटीजन सोसायटी, सैक्टर 48 सी, मोहाली पंजाब में रह रहे है। प्रार्थी फ्लैट नं. 3278/2, सैक्टर नम्बर 47डी, चण्डीगढ़ का 10,000/– रूपये मासिक किराया ले रहा है तथा मकान नम्बर एचआईजी 70 सीनीयर सिटीजन सोसायटी सैक्टर 48 सी मोहाली (पंजाब) का प्रथम मंजिल का 16,000/– रूपये व द्वितीय मंजिल का 13,000/– रूपये मासिक किराया प्रार्थी प्राप्त कर रहा है। वर्तमान में किराया राशि बढ़ा रखी है, इस प्रकार प्रार्थी करीब 40,000/– रूपये से ऊपर किराया राशि मासिक प्राप्त कर रहा है तथा प्रार्थी 1985 में भारतीय नोसेना से सेवानिवृत हुए और केन्द्र सरकार के सीएसआईओ सैक्टर नं. 30 में सुरक्षा सहायक के रूप में काम किया। दोनों सेवा कार्यों से कुल 70,000/– रूपये मासिक सरकारी पैंशन प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार प्रकार प्रार्थी को 1,10,000/– रूपये से अधिक मासिक आय अर्जित हो रही है।

उनका आगे यह भी कथन है कि [illegible] की काफी सम्पत्तियां रही है। अपील में वर्णित रजिस्टर्ड उपहार पत्र बिना किसी शर्त के अप्रार्थी के पक्ष में निष्पादित किया गया है। उक्त दस्तावेज से सम्पति के तमाम मालिकाना हक अप्रार्थी के पक्ष में निहित हो चुके है। अप्रार्थी उपरोक्त भूमि को एकल एवं निरपेक्ष मालिक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.02.06 14:58:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी को अप्रार्थी ने अपने माता पिता के रूप हमेशा से ही समान दिया जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की सेवा, सार सम्भाल और नियमित रूप से दवाई लाकर दी जाती रही है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी ने अपनी बड़ी पुत्री कविता कुमारी के बहकावे में आकर यह मिथ्या कथन दर्ज करवये है। अप्रार्थी के प्राकृतिक पुत्र यानि अप्रार्थी के होते हुए, अपनी पुत्री के बेटे सौरभ राणा को गलत रूप से गोद ले रखा है। कविता कुमार एवं सौरभ राणा ने अपीलांट को बहकाकर यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश करवाया है, जो निरस्तनीय है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अपीलांट द्वारा वास्तविक तथ्यों को छुपाया गया है। दस्तावेज उपहार पत्र दिनांक 06.09.2016 प्रार्थी द्वारा अपनी इच्छा व रजामंदी से उप पंजीयक कार्यालय के उपस्थित होकर अपने ब्यान देकर पंजीयन कराया गया है, परन्तु अब प्रार्थी द्वारा अपनी पुत्री कविता रानी तथा उसके गोद लिये पुत्र सौरभ राणा के बहकावे में आकर गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। **प्रार्थी दस्तावेज उपहार पत्र दिनांक 06.09.2016 को शून्य करवाने का कतई अधिकार नहीं है।**

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा खारिज किया है। प्रार्थना पत्र कुसंधि से पेश किया गया है। प्रार्थी का अनुतोष केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज को कैन्सिल करवाने का है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से भारी हर्जाना के साथ खारिज करने की प्रार्थना की है।

मैनें, उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 21, 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रकरण में निवेदन किया था कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी ने रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड दिनांक 06.09.2016 को निरस्त करवाने हेतु पेश किया था, जिस पर **उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने दिनांक 18.09.2025 को निर्णय पारित कर निम्नानुसार आदेश दिया गया :**

> बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड को इस आधार पर घोषित कराने का आवेदन किया है ताकि वह शेष आयु अपना भरण पोषण कर पाये। जबकि प्रार्थी द्वारा स्वंय के ब्यानों में यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.02.06 14:58:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

> स्वीकार किया गया कि वह वर्ष 1985 में भारतीय नौ सेना से सेवानिवृत हुआ है और उसके बाद उसने केन्द्र सरकार से सी. एस.आई.ओ. में सैक्टर नं. 30 में सुरक्षा सहायक के पद पर कार्य किया है और नौ सेना की सेवानिवृति से उसे 22000/– व सुरक्षा सहायक के पद की सेवानिवृति से उसे 22000/– रूपये पेंशन मिल रही है तथा उसके पास एक मकान 3278/2 सेक्टर नं0 47डी चण्डीगढ में है व दूसरा मकान नं. एचआईजी 70 सीनियर सीटिजन सोसायटी सैक्टर 48 सी मोहाली में है। जो तीन मंजिला बना हुआ है। इस प्रकार प्रार्थी के पास अपने भरण पोषण व रिहायश हेतु काफी सम्पत्तिया है जबकि अप्रार्थी के पास कोई मकान तक होने का कथन नहीं आया है। इसके अलावा प्रार्थी ने अपनी पुत्री कविता कुमारी के पुत्र सौरभ राणा को रजिस्टर्ड गोदनामे से दत्तक पुत्र भी ले रखा है। प्रार्थी द्वारा भरण पोषण का कोई क्लेम नहीं किया गया केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांकित 06.09.2016 को निरस्त कराने का क्लेम किया है, जो अनुतोष केवल सक्षम सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। ऐसी सूरत में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कोई अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के उक्त निर्णय दिनांक 18.09.2025 की अप्रसन्नता से अपीलार्थी ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया है और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है।

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क)(ख) निम्न प्रकार से अवलोकनीय है:

> **2(क) ''सन्तान'' के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है किन्तु अव्यस्क सम्मिलित नहीं है।**
>
> **2(ख) ''भरण पोषण'' के अन्तर्गत भोजन, कपड़े, निवास और चिकित्सीय परिचर्या और इलाज हेतु व्यवस्था सम्मिलित है,**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.02.06 14:58:01 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जहां तक विवादित भूमि रजिस्टर्ड दस्तावेज गिफ्ट डीड दिनाक 06.09.2016 रेस्पोडेंट से पुनः अपीलांट को दिलवाने की प्रार्थना की है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई सम्पत्ति का अन्तरण भरण पोषण की शर्त के अधीन किया जाता है, तो भरण पोषण न करने की सूरत में ऐसा अन्तरण शून्य हो सकता है। जिसके सम्बन्ध में **माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 की धारा 23(1) निम्नानुसार अवलोकनीय है :**

> **23. कुछ परिस्थितियों में सम्पत्ति का अन्तरण शून्य होगा : (1) जहाँ किसी वरिष्ठ नागरिक ने, जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिती ऐसी सुविधाओं और शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से इन्कार करता है या असफल रहता है, वहाँ सम्पत्ति इस प्रकार उक्त अन्तरण कपट या प्रपीड़न द्वारा असम्यक् असर के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक की वांछा पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा।**

विचाराधीन प्रकरण में विवादित भूमि किसी प्रकार की शर्त के अधीन अन्तरण होना प्रतीत नहीं होता है और न ही अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है। पत्रावली में उपलब्ध दान पत्र (उपहार पत्र) रक्त सम्बन्ध में दिनांक 06.09.2016 को सम्पादित किया है, जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है जिसमें उक्त विवादित सम्पत्ति चक 2 आरबी तहसील पदमपुर के खाता संख्या 68 / 64 का मुरब्बा नम्बर 48 में 3.0870 हैक्टर नहरी भूमि मय पानी रास्ता अपीलांट रायसिंह ने अपने पुत्र कमलजीत सिंह राणा को हस्तान्तरित की थी, जिसमें किसी प्रकार की शर्त का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए अप्रार्थी के नाम से भूमि के अन्तरण को शून्य घोषित नहीं किया जा सकता।

इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या अपीलार्थी भरण पोषण करने में असमर्थ है और इस कारण अपने पुत्र रेस्पोडेंट कमलजीत सिंह से भरण पोषण की हकदार है अथवा नहीं? इस संदर्भ में अधिनियम की [illegible] प्रावधान है :

> **4. माता–पिता और वरिष्ठ [illegible]**
> **(1) माता– पिता को सम्मि[illegible] रिक, जो अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्प[illegible] स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ है–**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.02.06 14:58:01 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण संख्या – 85 / 2025
रायसिंह बनाम कमलजीत सिंह
(GCMS No. 2025/372)

माता पिता एवं **वरिष्ठ** नागरिकों के **भरण** पोषण **एवं कल्याण** अधिनियम **2007** की **धारा 16 के अन्तर्गत अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। फिर भी माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की भावनाओं को देखते हुए रेस्पोडेंट का अपीलार्थी के भरण पोषण का नैतिक दायित्व है, इसलिए अप्रार्थी, प्रार्थीगण के सामान्य जीवन निर्वाह में कोई बाधा उत्पन्न न करें तथा अपीलार्थी को तंग एवं परेशान करने से निषेध रहे।**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील निस्तारित की जाती है। **उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का निर्णय यथावत रखा जाता है।** अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालना के लिए वापिस लौटाया जावे। आदेश की एक एक प्रति अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2026.02.06 14:58:01 IST
Reason: SelfAttested